रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. .....194/2022..... दिनांक .....20/5/2022.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.....7, 7ए .....
   (ब) अधिनियम .....भादस 1860.....धारायें.....120बी .....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....404.....समय.....4.15 PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–गुरूवार /19.05.2022/11.25 ए.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–18.05.2022 समय.–11.00 ए.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यालय तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –उत्तर , दूरी करीब 40 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री मुरारी लाल शर्मा**
   (ब) पिता /पति का नाम स्व0 श्री बख्तावर सिंह जाति ब्राहम्ण....(स) जन्म तिथि /वर्ष 74 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....ग्राम –धौला कुंआ पुलिस थाना कांमा जिला भरतपुर हाल सेवानिवृत पटवारी तहसील डीग जिला भरतपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1– अशोक कुमार शाह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन उम्र 55 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के सामने बागीदौरा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा हाल तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर।

   2– प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी खांगरी पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय डीग जिला भरतपुर।

   3– कृष्ण कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट उम्र 27 साल निवासी बरौली चौथ पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर (दलाल)।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....5,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....5,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं मुरारीलाल शर्मा पुत्र बख्तावरसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी धौला कुआ कांमा जिला भरतपुर का रहने वाला हूं तथा मैं 30 अप्रैल 2009 को पटवारी तहसील डीग के पद से सेवानिवृत हो चुका हूं सेवानिवृत होने के समय मेरी वेतन वृद्धि रोकी गई थी उसको नियमित कराने के लिए एडीजे कोर्ट सं.–2 भरतपुर में याचिका दायर की थी। याचिका में मेरे पक्ष में फैसला आया था। कोर्ट के

आदेशानुसार मुझे रोकी हुई वेतनवृद्धि का चैक दे दिया था। इसके बाद मैंने मेरा भुगतान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद वर्ष 2019 में मैंने पेंशन संशोधित करवाने के लिए तहसीलदार डीग के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाया था। इसके बाद तहसीलदार डीग ने प्रार्थना पत्र व कागजातों को पेंशन विभाग जयपुर भिजवा दिया गया था। पेंशन विभाग ने आक्षेप लगाकर वापस तहसीलदार डीग को भेज दिया था। तभी से अब तक आक्षेप की पूर्ति करवाने के सम्बंध में करीबन 6 महीने से डीग तहसील के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन मेरा काम नहीं हुआ । दिनांक 12.5.22 को मैं ऐतराज की पूर्ति करवाने के संबंध में तहसीलदार डीग श्री अशोक कुमार शाह से मिला तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, खर्च पानी के लिए 5000/–रूपये देने होंगे। श्री अशोक कुमार शाह तहसीलदार मेरे से मेरे वैद्य कार्य को करने की एवज में रिश्वत में 5000/–रूपये की मांग कर रहा है। मैं उसको रिश्वत में 5000/–रूपये देना नही चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी तहसीलदार से कोई पुरानी रंजिश व लेन–देन नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 18.5.22 एस.डी. मुरारीलाल शर्मा प्रार्थी मुरारीलाल शर्मा रि. पटवारी धौला कुआ कामां भरतपुर। एसडी धीरेन्द्र सिंह 19.05.2022, एस डी विनीत तिवारी 19.05.2022, एसडी महेश मीणा अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 18.05.2022।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 18.05.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बख्तावर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 74 साल निवासी धौला कुंआ पुलिस थाना कांमा जिला भरतपुर हाल सेवानिवृत पटवारी तहसील डीग जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा को इस आशय की पेश कि " मैं मुरारीलाल शर्मा पुत्र बख्तावरसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी धौला कुआ कांमा जिला भरतपुर का रहने वाला हूं तथा मैं 30 अप्रैल 2009 को पटवारी तहसील डीग के पद से सेवानिवृत हो चुका हूं सेवानिवृत होने के समय मेरी वेतन वृद्धि रोकी गई थी उसको नियमित कराने के लिए एडीजे कोर्ट सं. –2 भरतपुर में याचिका दायर की थी। याचिका में मेरे पक्ष में फैसला आया था। कोर्ट के आदेशानुसार मुझे रोकी हुई वेतनवृद्धि का चैक दे दिया था। इसके बाद मैंने मेरा भुगतान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद वर्ष 2019 में मैंने पेंशन संशोधित करवाने के लिए तहसीलदार डीग के समक्ष प्रार्थना पत्र लगाया था। इसके बाद तहसीलदार डीग ने प्रार्थना पत्र व कागजातों को पेंशन विभाग जयपुर भिजवा दिया गया था। पेंशन विभाग ने आक्षेप लगाकर वापस तहसीलदार डीग को भेज दिया था। तभी से अब तक आक्षेप की पूर्ति करवाने के सम्बंध में करीबन 6 महीने से डीग तहसील के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन मेरा काम नहीं हुआ । दिनांक 12.5.22 को मैं ऐतराज की पूर्ति करवाने के संबंध में तहसीलदार डीग श्री अशोक कुमार शाह से मिला तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, खर्च पानी के लिए 5000/–रूपये देने होंगे। श्री अशोक कुमार शाह तहसीलदार मेरे से मेरे वैद्य कार्य को करने की एवज में रिश्वत में 5000/–रूपये की मांग कर रहा है। मैं उसको रिश्वत में 5000/–रूपये देना नही चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी तहसीलदार से कोई पुरानी रंजिश व लेन–देन नहीं है।" उक्त लिखित रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं उक्त लिखित रिपोर्ट बेटे से लिखवाकर लाया हूं श्री अशोक कुमार शाह तहसीलदार मुझे करीबन 6 माह से परेशान कर रहा है। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 11.40 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये रीतराम सिंह हैड कानि. से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गम्भीर सिंह कानि. नं. 475 को सुपुर्द कर हिदायत

दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी व श्री गम्भीर सिह कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय डीग के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा व श्री गम्भीर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गम्भीर सिंह कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि अशोक कुमार शाह से मेरी बात हो गई है। मै और गम्भीर सिंह कानि0 रवाना होकर तहसील कार्यालय डीग जिला भरतपुर में पहुंचे जहां पर अशोक कुमार शाह तहसीलदार मिला जिसने मेरे से मेरी संशोधित पेंशन में पेंशन विभाग जयपुर द्वारा किये गये एतराज की पूर्ति करने की एवज में 5,000/–रूपये रिश्वत की मांग की और मुझे कल दिनांक 19.05.2022 को 10.00 एएम पर कार्यालय बुलाया है मैंने उक्त वार्तालाप को इस वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। इसके बाद मैं साइड में जाकर गम्भीर सिंह कानि. के पास पहुंचे जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने गम्भीर सिह कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री गम्भीर सिंह वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर पेन ड्राईव तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.50 पीएम पर मुरारी लाल शर्मा व आरोपी अशोक कुमार शाह तहसीलदार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता है कल ट्रेप कार्यवाही की जानी है चूंकि समय सरकारी कार्यालय बन्द हो चुके है अतः स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु जरिये टेलीफोन सचिव कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर को पाबन्द किया गया कि कल दिनांक 19.05.2022 को समय 07.00 एएम पर दो राजकीय कर्मचारी गोपनीय कार्य के लिये स्वतंत्र गवाह के रूप में कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना करें। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री मुरारी लाल से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/–रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि अभी मेरे पास 5,000/–रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है व मेरी दवाई भी घर पर ही हैं अतः में घर से 5000 रू0 का इन्तजाम कर लुंगा मैं बुजुर्ग आदमी हूं कांमा से आने जाने में मुझे काफी परेशानी होती है इसलिये मै सुबह 09.00 एएम पर कस्बा डीग मिल जाउंगा। अतः परिवादी की परिस्थिति को ध्यान रखते हुए परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर कस्बा डीग में उपस्थित

होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 19.05.2022 समय 07.10 एम पर नगर विकास न्यास से पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम पता क्रमशः श्री धीरेन्द्र सिह पुत्र इन्द्र सिंह उम्र 27 साल जाति जाट निवासी ग्राम जीवद पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर व श्री विनीत तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा उम्र 38 साल जाति ब्राहम्ण निवासी 61, न्यू आदर्श कॉलोनी भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर होना बताया जिनको कार्यवाही से अनविज्ञ रखते हुए कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 07.30 एएम पर श्री विनोद सिह कानि0 114 व श्री गोकुलेश कानि0 454 को श्री गोकुलेश कानि0 की निजी मोटर साईकल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री रीतराम हैड कानि0 45 व श्री गम्भीर सिह कानि0 475 को श्री गम्भीर सिह की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 व श्री रोशन सिंह कानि0 चालक को श्री देवेन्द्र सिह कानि0 की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक मय श्री अख्तर खान हैड कानि0 05 व श्री उमाशंकर कानि0 82 मय फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी को प्राईवेट गाडी के डेस्क बोर्ड में रखवा कर मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के रवाना कर उनके पीछ–पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591, रितेश कुमार कानि0 64 व श्री मनोज कुमार कानि0 चालक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा डीग रवाना होकर समय 08.45 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के कस्बा डीग से पहले सोनगांव मोड पर पहुंचा जहां पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा उपस्थित मिला परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को दी जाने वाली 5000 रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम करके ले आया हूं। परिवादी को हमराह लेकर वाहनों को सोनगांव रोड पर आगे चलकर साईड में खडा करवा कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया गया तथा गवाहान को की जा रही ट्रेप कार्यवाही के सम्बंध में बताया व परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढने हेतु दिया दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी सहमति जाहिर करते हुए परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात समय 09.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बख्तावर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 74 साल निवासी धौला कुंआ पुलिस थाना कांमा जिला भरतपुर हाल सेवानिवृत पटवारी तहसील डीग जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 10 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 5,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AN398165
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HN712977
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	0DQ461036
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	8SD273000
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	3HP134364
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	3MA781421
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	9VU478451
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8AG242507
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	4DP703555

10	एक नोट पांच सौ रूपये का	9ED755926

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री उमाशंकर कानि0 82 से प्राईवेट गाडी के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री उमाशंकर कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री मुरारी लाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह धीरेन्द्र सिह से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 5,000/–रूपये के नोटों को श्री उमाशंकर कानि0 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री विनीत तिवारी से उपलब्ध पानी के कैम्पर में से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री उमाशंकर कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड की साईड में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री उमाशंकर कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को एसीबी चौकी भरतपुर पर जाकर आलमारी में रखें। श्री उमाशंकर के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को प्राईवेट में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री उमाशंकर कानि0 को मय फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी के एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना किया गया। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.40 पीएम पर परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री विनोद सिह कानि0 114 व श्री गोकुलेश कानि0 454 को श्री गोकुलेश कानि0 की निजी मोटर साईकल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री रीतराम हैड कानि0 45 व श्री गम्भीर सिह कानि0 475 को श्री गम्भीर सिह

की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 व श्री रोशन सिंह कानि0 चालक को श्री देवेन्द्र सिह कानि0 की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक मय श्री अख्तर खान हैड कानि0 05 मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के रवाना कर उनके पीछ–पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591, रितेश कुमार कानि0 64 व श्री मनोज कुमार कानि0 चालक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय रवाना होकर समय 10.10 एएम पर तहसील कार्यालय डीग के पास पहुंचे जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी के पास कार्यालय तहसीलदार, तहसील डीग को रवाना कर पीछे पीछे श्री रीतराम हैड कानि0 , श्री गम्भीर सिंह कानि0 व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 और श्री रोशन सिंह कानि0 चालक को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए तहसील कार्यालय डीग के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 11.25 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा सेवानिवृत पटवारी के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा उपस्थित मिला जिस से पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी अभी तहसीलदार अशोक कुमार जी जो इजलास कक्ष में बैठे हुए हैं ने रिश्वत के 5000 रूपये मेरे से उनके कक्ष में पहले से मौजूद एक प्राईवेट व्यक्ति को दिलवा दिये हैं जिसने 5000 रू0 मेरे से अपने दाहिने हाथ में ले लिये तथा तहसीलदार जी ने प्राईवेट व्यक्ति से कहा है कि यह रूपये प्रकाश सिंह रजिस्ट्री बाबू को दे दो इस पर प्राईवेट व्यक्ति कक्ष से बाहर निकल कर रजिस्ट्री बाबू के कमरे में चला गया और मैने बाहर आकर आपको रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता , स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कार्यालय तहसील के मुख्य गेट से रवाना होकर तहसील के अन्दर प्रवेश किया तो तहसील कार्यालय के अन्दर आगे आगे परिवादी ने चलकर कमरा नं0 01 की तरफ ईशारा कर बताया कि यह कमरा रजिस्ट्री बाबू का है जिसमें प्राईवेट व्यक्ति व रजिस्ट्री बाबू बैठे हुए हैं तहसीलदार कमरा नं0 3 इजलास में बैठे हुए हैं इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमरा नं0 01 जिसके बाहर संस्थापन एवं लेखा लिखा हुआ है के अन्दर प्रवेश किया तो परिवादी ने एक व्यक्ति तरफ ईशारा कर बताया कि यह प्राईवेट व्यक्ति है जिसने अभी अभी मेरे से तहसीलदार जी के कहने पर रिश्वत में 5000 रू0 लिये हैं इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा द्वारा बताये गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्ण कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट उम्र 27 साल निवासी बरौली चौथ पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर होना बताया जिससे रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो प्राईवेट व्यक्ति कृष्ण कुमार ने बताया कि मै अक्सर तहसीलदार सहाब के पास आता जाता रहता हूं आज मैं तहसीलदार सहाब से मिलने के लिये उनके इजलास कक्ष में आया हुआ था उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति इजलास में तहसीलदार सहाब के पास आया तहसीलदार सहाब ने मुझसे कहा कि इनसे 5000 रूपये लेकर रजिस्ट्री बाबू प्रकाश सिंह को दे देना इस पर मैने बुजुर्ग व्यक्ति से 5000 रूपये लेकर रजिस्ट्री बाबू को देने के लिये इस कमरे में आ गया और अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह रजिस्ट्री बाबू प्रकाश सिंह है जिनको मैने तहसीलदार जी के कहे अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति से लिये 5000 रूपये इनको दे दिये इन्होने 5000 रूपये मुझसे लेकर अपनी पहनी हुई

शर्ट की जेब में रख लिये इस पर कमरा नं0 03 इजलास कक्ष में बैठे हुए तहसीलदार की निगरानी हेतु श्री रीतराम हैड कानि0 व श्री गम्भीर सिह कानि0 को रवाना किया गया तत्पश्चात मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने रजिस्ट्री बाबू से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी खांगरी पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय डीग जिला भरतपुर होना बताया। जिससे रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूंछा तो बताया कि मैं तहसील डीग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं तथा रजिस्ट्री बाबू का काम भी देखता हूं अभी मुझे कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति ने 5000 रूपये लाकर दिये और कहां कि तहसीलदार सहाब ने आपको देने को कहा है। इस पर मैने कृष्ण कुमार से 5000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रख लिये तथा आपको इधर आता देख कर मैने डर कर 5000 रू0 टेबल के निचे रख दिये हैं जो अभी भी टेबल के निचे ही रखे हुए हैं। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह श्री विनीत कुमार कनिष्ठ अभियंता टेबल के निचे रखे रिश्वत राशि को दिखवाया गया तो मुडी हुई अवस्था में 500–500 सौ के नोट दिखाई दिये जिनको स्वतंत्र गवाह विनीत तिवारी से उठवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 सौ के 10 नोट कुल 5000 रू0 होना पाये गये जिनका पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहू होना पाये गये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री विनीत तिवारी के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति का बायां हाथ श्री गोकुलेश कानि0 व दाहिना हाथ श्री रितेश कुमार कानि0 से कलाईयों के उपर से पकडवाया गया तथा श्री प्रकाश सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी का बायां हाथ श्री रोशन सिंह कानि0 चालक व दाहिना हाथ श्री मनोज कुमार कानि0 चालक से कलाईयों के उपर से पकडवाया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त दोनों आरोपीगण को हाथ पकडी हुई अवस्था में हमराह लेकर कमरा नं0 03 इजलास में पहुंचा जहां इजलास की डेस्क पर पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ कर कार्य कर रहा है। जिसकी तरफ परिवादी मुरारी लाल शर्मा ने ईशारा कर बताया कि यह तहसीलदार श्री अशोक कुमार शाह हैं जिन्होने अभी अभी कुछ समय पहले रिश्वत में 5000 रूपये प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाये हैं इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम अशोक कुमार शाह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन उम्र 55 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के सामने बागीदौरा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा हाल तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर होना बताया तत्पश्चात तहसीलदार श्री अशोक कुमार शाह को डाईस पर से निचे आने हेतु कहा तो उठ कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आये जिनसे परिवादी से रिश्वत की मांग व लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं माह अक्टूबर 2020 से तहसीलदार डीग के पद पर तहसील डीग में पदस्थापित हूं श्री मुरारी लाल शर्मा जो वर्ष 2009 में पटवारी पद से सेवानिवृत हो चुके हैं जिनका वर्ष 2019 में संशोधित पेंशन एतराज पूर्ति हेतु कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसकी पेंशन पूर्ति के संबंध में जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल व पेंशन विभाग में पत्राचार जारी है। मैने श्री मुरारी लाल शर्मा से कहा था कि आप के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध हो तों उपलब्ध करवा दे जिससे आपके प्रकरण में एतराज पूर्ति कर रिपोर्ट भिजवाई जा सके तो उन्होने कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया जिसपर दिनांक 26.04.2022 को कलक्टर सहाब भरतपुर द्वारा तीन बिन्दुओं की रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पूर्ति हेतु लेखाधिकारी से पत्राचार किया जा रहा था इसी दौरान मुरारी लाल शर्मा सेवानिवृत पटवारी मेरे से मिलने दो बार आया था मैने मुरारी लाल शर्मा से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और नाही मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा ने तहसीलदार श्री अशोक कुमार शाह की बातों का खण्डन करते हुए कहा कि तहसीलदार जी झूठ बोल रहे है इन्होने मुझसे दिनांक 12.05.2022 को मेरे संशोधित

पेंशन में आये एतराज की पूर्ति करने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जिसकी शिकायत मैने कल दिनांक 18.05.2022 को आपके कार्यालय में की थी जिसपर आप द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया दौराने सत्यापन श्री अशोक कुमार शाह ने मेरे से 5000 रू0 रिश्वत की मांग की थी और आज इन्होने मेरे से 5000 रूपये रिश्वत के अपने दलाल कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाये हैं। कार्यवाही के दौरान श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक मय श्री अख्तर खान हैड कानि0 व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को आरोपी अशोक कुमार शाह के किराये के निवास गोवर्धन गेट कस्बा डीग वास्ते खाना तलाशी हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कार्यालय में लगे हुए वाटर कूलर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री धीरेन्द्र सिंह से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री कृष्ण कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री प्रकाश सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–3 व आर एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री प्रकाश सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–3 व एल एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री प्रकाश सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी की पहनी हुई शर्ट बरंग पर्पल जिसके कॉलर पर शिवा टेलर का स्टीगर लगा हुआ है, को उतरवा कर शर्ट की जेब धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एसपी–1 व एसपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात शर्ट की जेब को सुखा कर उलटवा कर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शर्ट को एक

कपडे की थैली में रखवा कर सील्ड मोहर कर मार्क एसपी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विनीत तिवारी कनिष्ठ अभियंता के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 5000 रूपये के नोटो का मिलान पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 AN 398165
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 HN 712977
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 DQ 461036
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 SD 273000
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 HP 134364
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 MA 781421
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 VU 478451
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 AG 242507
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 DP 703555
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 ED 755926

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं रिश्वती राशि जहां से बरामद हुई उस स्थान को ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें रूई के फोये को भिगो कर उस स्थान को पुछवा कर पुनः रूई के फोये को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। व रूई के फोये को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "आरएफ' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी अशोक कुमार शाह तहसीलदार से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि श्री धनेश ऑफिस कानूनगो के पास है अतः श्री धनेश कुमार को तलब कर पत्रावली को पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपीगण श्री अशोक कुमार शाह तहसीलदार, श्री प्रकाश सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03. 30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा सेवानिवृत पटवारी के संशोधित पेंशन संबंधी कार्य की पत्रावली तहसील कार्यालय डीग में पदस्थापित ऑफिस कानूनगो श्री धनेश चन्द द्वारा लाकर पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 1 लगायत 19 है जिसके प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय तहसीलदार तहसील डीग का संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग भरतपुर के लिये पत्र लगा हुआ है जो डिस्पेच नहीं है। पेज संख्या 02 से 05 तक पेज संख्या 01 के पत्र की छायाप्रति है , पेज संख्या 06 व 07 पर चैक लिस्ट लगी हुई है जिसपर तहसीलदार तहसील डीग के हस्ताक्षर नहीं है तथा पेज संख्या 08 व 09 पर

परिवादी मुरारी लाल का गत भुगतान प्रमाण पत्र लगा हुआ है पेज संख्या 10 से 15 तक परिवादी की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के निर्धारण के लिये प्रपत्र लगा हुआ है। जिसपर रबड मोहर पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है पेज संख्या 16 से 19 तक कार्यालय तहसीलदार के पत्रांक 1588 दिनांक 11.05.2022 जो लेखाधिकारी कलैक्ट्रेट भरतपुर के नाम लिखा हुआ है। जिसके संलग्न दस्तावेज हैं उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर छायाप्रति को ऑफिस कानूनगो श्री धनेश चन्द से प्रमाणित करवाई जाकर प्रमाणित पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर असल पत्रावली को परिवादी का कार्य पूर्ण करवाये जाने की हिदायत देकर श्री धनेश चन्द ऑफिस कानूनगो को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.15 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अशोक कुमार शाह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन उम्र 55 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के सामने बागीदौरा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा हाल तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर को परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा के संशोधित पेंशन की एतराज पूर्ति करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 18.05.2022 को 5000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 19.05.2022 को रिश्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी श्री अशोक कुमार शाह का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.45 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी खांगरी पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय डीग जिला भरतपुर को परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा से 5000/–रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने पर आरोपी श्री प्रकाश सिंह का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.15 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट उम्र 27 साल निवासी बरौली चौथ पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर को परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा से आज दिनांक 19.05.2022 को आरोपी अशोक कुमार शाह के कहे अनुसार 5000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.40 पीएम पर कार्यवाही के दौरान श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना किया था जो बाद खाना तलाशी वापस आये खाना तशाली बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.45 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.15 पीएम पर श्री रीमराम हैड कानि0 45 को मय श्री मनोज कुमार कानि0 चा0 व श्री रोशन सिंह कानि0 चालक मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण अशोक कुमार शाह तहसीलदार, प्रकाश सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति के जरिये प्राईवेट वाहन के कार्यालय तहसीलदार डीग से थानाधिकारी पुलिस मथुरा गेट व चिकित्सा अधिकारी आरबीएम हॉस्पीटल भरतपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर देकर रवाना कर हिदायत दी आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण व कोरोना 19 का सैम्पल दिलाकर आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी कार्यालय पहुंचे। उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान,

परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों के जरिये प्राईवेट वाहनों से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर के तहसीलदार कार्यालय डीग से एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होकर समय 07.10 पीएम पर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 5000/–रूपये, धोवन की 12 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को एसीबी चौकी भरतपुर पर उपस्थित होने के उपरान्त दुरूस्त हालात में सुपुर्द की जाकर जमा मालखाना करवायी जावेगी। इसके बाद समय 07.40 पीएम पर श्री रीतराम सिंह हैड कानि. मय हमराहियान के रवानाशुदा गिरफ्तारशुदा आरोपीगण अशोक कुमार शाह तहसीलदार, प्रकाश सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति को बाद स्वास्थ्य परीक्षण व मथुरा गेट थाना में बन्द हवालात कराकर हाजिर चौकी आये। अभियुक्त को कल थाना मथुरागेट से प्राप्त कर माननीय एसीबी न्यायालय में पेश किया जावेगा। श्री रीतराम हैड कानि0 को जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 5000/–रूपये, धोवन की 12 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को दुरूस्त हालात में सुपुर्द की जाकर जमा मालखाना करवायी गई। तत्पश्चात समय 07.50 पीएम पर परिवादी मुरारी लाल शर्मा से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और चार पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईवों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं तीन मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 08 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री धीरेन्द्र सिह कनिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी अशोक कुमार शाह तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा हाल सेवानिवृत पटवारी तहसील डीग से परिवादी की संशोधित पेंशन में पेंशन विभाग जयपुर द्वारा किये गये एतराज की पूर्ति करने की एवज में 5,000/–रूपये दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 18.05.2022 को मांग करना व मांग के अनुसंरण में दिनांक 19.05.2022 को आरोपी अशोक कुमार शाह द्वारा परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा से रिश्वत राशि कृष्ण कुमार प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को देने की कहा जिसपर कृष्ण कुमार दलाल ने रिश्वत राशि 5000 रूपये परिवादी से प्राप्त कर आरोपी तहसीलदार के कहे अनुसार रिश्वत राशि सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील डीग प्रकाश सिंह को देना तथा आरोपी प्रकाश सिंह द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रखना भनक लगने पर अपनी जेब में से रिश्वत राशि निकाल कर अपने कार्य करने की टेबल के निचे रखना जहां से रिश्वत राशि 5000 रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण अशोक कुमार शाह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन उम्र 55 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के सामने बागीदौरा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा हाल तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर, प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 36 साल

निवासी खांगरी पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय डीग जिला भरतपुर व कृष्ण कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट उम्र 27 साल निवासी बरौली चौथ पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर (दलाल) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति0 पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
(एस.यू.) भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एस.यू.), भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अशोक कुमार शाह, तहसीलदार, तहसील डीग, जिला भरतपुर 2. श्री प्रकाश सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील डीग, जिला भरतपुर एवं 3. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रेमसिंह, निवासी बरौली चौथ, पुलिस थाना सदर डीग, जिला भरतपुर (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 194/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1710-15 दिनांक 20.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, भरतपुर।
5. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

20.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।